अभियोजन विभाग में चयनित/आवंटित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन एवं कॉउंसलिंग के संबंध में

प्रशासनिक सुचार (पुंज-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.3/2020 जयपुर दिनांक 18.06.2020 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशांकुर कनिष्ठ सहायक माती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जाती के वैकल्पिक पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक माती परीक्षा-2018 की रिजर्व लिस्ट से पिक-अप किये गये निम्नलिखित 7 (NON-TSP) चयनित अभ्यर्थियों को इस विभाग में फिल्ड का आवंटन एवं नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जानी है।

अतः राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्त कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के Documents Verification / Counseling का कार्य दिनांक 13.07.2020 को अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर, कमरा न. 7226 खाँद भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में किया जाना है।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>नोटेट नं.</th>
<th>आवेदन संख्या</th>
<th>फिल्टर नं.</th>
<th>अभ्यर्थी का नाम</th>
<th>पिता का नाम</th>
<th>जन्म दिनांक</th>
<th>लिंग</th>
<th>वर्ग</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>18142</td>
<td>201804664793</td>
<td>1506355</td>
<td>लकेश्त जातोलिया</td>
<td>बाबू लाल जातोलिया</td>
<td>09.05.1996</td>
<td>Male</td>
<td>SC</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>18149</td>
<td>201803907186</td>
<td>2058546</td>
<td>राजेंद्र लाल महावर</td>
<td>लाल बदू महावर</td>
<td>10.07.1991</td>
<td>Male</td>
<td>SC</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>18162</td>
<td>201803331601</td>
<td>1823192</td>
<td>अजय कुमार</td>
<td>अमर सिंह</td>
<td>03.07.1990</td>
<td>Male</td>
<td>SC</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>18609</td>
<td>201805513412</td>
<td>1797687</td>
<td>प्रभाकर कुमार वर्मा</td>
<td>मोहन लाल वर्मा</td>
<td>20.09.1996</td>
<td>Male</td>
<td>SC</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>18659</td>
<td>201805376543</td>
<td>1417585</td>
<td>मूलसन जाजारिया</td>
<td>शकर जाजारिया</td>
<td>05.03.1997</td>
<td>Male</td>
<td>SC</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>21664</td>
<td>201804905125</td>
<td>2026231</td>
<td>रामचंद्र कुमार मीणा</td>
<td>जगदीश प्रसाद मीणा</td>
<td>15.07.1995</td>
<td>Male</td>
<td>ST</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>21704</td>
<td>201804324376</td>
<td>1868144</td>
<td>समरजीत लाल मीणा</td>
<td>राम करण मीणा</td>
<td>05.07.1992</td>
<td>Male</td>
<td>SC</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अभियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का Documents Verification / Counseling का कार्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रशासनिक सुचार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार समन्वय किया जायेगा।

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा कॉउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिवांगत, विधियां, परिस्तंभक, इकल महिला (अधिवारিত महिला), भूवंपुर सेंटर, उद्योग शिवाय एवं पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो वही संडरे में होंगी वरीयता क्रम से उपलब्ध बिएतों के आधार पर कॉउंसलिंग में बुलाया जायेगा।

2. शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से कॉउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्टर के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिले का आवंटन किया जायेगा।

3. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिले में दिये गये पदस्थापित हो उस पद पर होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उनकी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जायेगा।

4. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी वापस परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के अपितु पति-पत्नी अपार्थ रूप से ग्रसित हो तो रिक्टर पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध बिएतों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जायेगी।

Junior Assistant (2020)
5. Documents Verification / Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार किराया व कोई अन्य भुगता देय नहीं होगा।

6. उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को Documents Verification / Counseling हेतु उपस्थित नहीं होता है तथा तत्त्वज्ञ कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जिला आवंटन करने में वरिष्ठा सबसे अंत में दी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रखेगी।

7. चयनित सभी अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 7311 दिनांक 29.06.2020 में दिये गये निदेशालय सरकार समस्त दंडवेश पूर्ण कर प्रस्तुत करने है। उक्त दिशा निदेश विभाग की वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन करें।

8. Documents Verification / Counseling में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 की रोकथाम हेतु राय लेने द्वारा जारी दिशा निदेशालय सरकार द्वारा समस्त दंडवेश पूर्ण कर प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय में उपस्थित ना होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी इसका पालन नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी को कार्यालय में शामिल नहीं किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

9. प्रशासनिक सुधार (पुष्ट–3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु. -3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा निदेशालय Documents Verification / Counseling का कार्य निर्माण अनुच्छेद संपादित किया जायेगा।

10. कार्यालय में उपस्थिति के दौरान विभाग द्वारा जिला आवंटन के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को समाधान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विषय परिच्छेद को ध्यान में रखते हुए कार्यालय हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियुक्ति की जा सकेंगी।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति समस्त सुचना विभाग वेबसाइट पर ही अपलोड की जायेगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति समस्त कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करें।

(जगदीश कुंतल)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(न्याय) राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. विभागीय कमेटी अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक अभियोजन राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभव–03) विभाग राज0 जयपुर।
4. स्टर्टकीपर अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर को कोविड–19 के रोकथाम के अनुसार कार्यवाही हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

(अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(न्याय) राजस्थान जयपुर)